न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 217/2018/75 (2018/00217)

1. भैरू पुत्र सवाई, जाति रावत, निवासी ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. झुम्मी देवी पत्नि स्व0 गोपी,
2. भागू पुत्र स्व0 गोपी,
3. हेमा पुत्र स्व0 गोपी,
4. पैमा पुत्र स्व0 गोपी,
5. शैतान पुत्र स्व0 गोपी,
6. मोहन पुत्र स्व0 गोपी,
7. पांची पुत्री स्व0 गोपी,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बुबानी, तह0 व जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

9. ओम पुत्र स्व0 रतन, पुत्र स्व0 श्री सवाई, जाति रावत, निवासी ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आवंटन आदेश विद्वान विकास अधिकारी, अजमेर दिनांक 31.5.1984 .

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 9 अनुपस्थित ।
3. विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान विकास अधिकारी, अजमेर द्वारा कैम्प बुबानी में पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. ग्राम बुबानी के चौसाला खसरा नंबर 207 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपीलांट के पिता स्व0 सवाई पुत्र भींया जाति रावत भू—संशोधन से पूर्व काबिज काश्त होने के आधार पर भू—संशोधन में राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 के तहत खातेदारी प्रदान की गई थी जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 40 दिनांक 11.12.1968 को स्वीकृत कर तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है किन्तु अजमेर जिले में उक्त भू—संशोधन जमाबंदी को मान्यता प्रदान नहीं करने के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैम्प भूमि आवंटन/नियमन करने हेतु आयोजित किये गये जिसके आधार पर अपीलांट के पिता को उक्त आराजियात में से रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन/नियम दिनांक 31.5.1984 को की गई किन्तु शेष भूमि के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के पति व पिता द्वारा राजस्व एजेन्सी से सांठ—गांठ कर विवातिद आराजियात पर अपीलांट के पिता स्व0 सवाई पुत्र भींया जाति रावत, निवासी बुबानी का भू—संशोधन से पूर्व चले आ रहे कब्जे काश्त को आधार बनाकर राजस्व ऐजेन्सी के समक्ष आवंटन/नियमन हेतु आवेदन कर हल्का पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक से गलत कब्जा रिपोर्ट बनवाकर विवादित आराजियात में से रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आवंटन दिनांक 31.5.1984 को गैर कानूनी रूप से केवल मात्र अपने नाम आवंटन/नियमन करवा लिया । अधी0न्याया0 के इस आवंटन/नियमन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पो0 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में अपीलांट एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । ग्राम बुबानी के चौसाला खसरा नंबर 207 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपीलांट के पिता अजमेर जिले में राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के निश्चित दिवस दिनांक 15.6.1958 के पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे थे । उक्त वास्तविक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए तत्कालीन राजस्व एजेन्सी द्वारा धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांट के पिता को विवादित आराजी में से रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 40 दिनांक 11.12.1968 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया जा चुका था किन्तु भू–संशोधन जमाबंदी को अजमेर जिले में मान्यता प्रदान नहीं किये जाने के कारण पुनः राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैम्प आयोजन कर अपीलांट के पिता को उक्त आराजियात में से रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 31.5.1984 को आवंटन/नियमन की गई किन्तु शेष भूमि भूमि रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा बाबत् अपीलांट के बड़े भाई स्व0 गोपी पुत्र सवाई जाति रावत ने विवादित आराजियात पर अपने पिता द्वज्ञारा की जा रही काश्त का नाजायज लाभ उठाकर राजस्व एजेन्सी से सांठ–गांठ कर शेष भाई अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 के पिता स्व0 रतना पुत्र सवाई को वादग्रस्त आराजियात से वंचित कर केवल अपने नाम आवंटन करवाने में त्रुटि कारित की है जबकि खसरा नंबर 207 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर आवंटन दिनांक 31.5.1984 को अपीलांट के पिता एवं अपीलांट तथा अपीलांट के भाई स्व0 गोपी एवं स्व0 रतन पुत्र सवाई जाति रावत जीवित होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे थे । इतना ही नहीं स्व0 गोपी पुत्र सवाई अपने पिता स्व0 सवाई पुत्र भींया तथा स्व0 गोपी वपुत्र सवाई जाति रावत संयुक्त परिवार के सदस्य थे । इसके बावजूद स्व0 गोपी पुत्र सवाई ने अपने आपको परिवार से पृथक निवास करना गलत व मिथ्या कथन कर विवादित आराजियात केवल अपने नाम आवंटन/नियमन करवाई है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के पति व पिता द्वारा आवंटन/नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसील कार्यालय अजमेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के पिता सवाई पुत्र भींया का पारिवारिक सजरा अंकित किया था तथा विवादित आराजियात पर काश्त संवत् 2034 से अपीलांट के पिता की होना व्यक्त किया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात सर्वप्रथम अपीलांट के पिता के नाम या अपीलांट एवं स्व0 गोपी तथा स्व0 रतना पुत्रगण सवाई के नाम संयुक्त रूप से आवंटन/नियमन आदेश पारित किया जाना चाहिये था । स्व0 गोपी ने राजस्व एजेन्सी से सांठ–गांठ कर मिथ्या कथनों के आधार पर अपने अकेले के नाम आवंटन करवाया है जो निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पो0 संख्या 9 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जिनका प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 से 7 व तरतीबी रेस्पो0 संख्या 9 के नाम बहिस्से बराबर आवंटन/नियमन आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थी ग्राम बुबानी स्थित आराजी पर संयुक्त रूप से स्व0 सवाई पुत्र भींया के जीवनकाल से आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रार्थी को न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जिला कलक्टर, अजमेर से जारी नोटिस दिनांक 24.6.2018 को प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त नोटिस की जानकारी करने पर स्पष्ट रूप से बताने में आना–कानी करने पर प्रार्थी ने अजमेर आकर प्रकरण की जानकारी करने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.1984 की जानकारी होने पर दिइनांक 28.6.2018 को नकले हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.7.2018 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आवंटन/नियमन आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट ने आवंटन आदेशदिनांक 31.5.1984 के विरूद्ध लगभग 34 वर्षो के उपरांत भारी मियाद बाहर अपील पेश की है जो मियाद बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें विद्वान उभयपक्षगण अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1984 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 1.8.2018 को लगभग 35 वर्ष उपरांत अपील पेश की है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 24.6.2018 को प्राप्त होने पर अजमेर आकर प्रकरण की जानकारी करने पर होना बताया है । अपीलांट रेस्पो0 के पति एवं पिता का भाई होकर एक ही परिवार के सदस्य है तथा एक ही ग्राम में निवास करते है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि रेस्पो0 के पति व पिता गोपी पुत्र सवाई का दिनांक 31.5.1984 को हुए आवंटन की जानकारी अपीलांट को नहीं रही हो । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है । आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 289 में यह अवधारित किया गया है कि "INDIAN LIMITATION ACT, 1963- Section 5- When there is no sufficient cause shown for not filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned."

8. हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1984 के विरूद्ध लगभग 35 वर्ष के उपरांत भारी मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में इतने भारी विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र में विलंब के ठोस एवं समुचित कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है ।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है । अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1984 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर